न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 122/2017 दायरा दिनांक : 04.09.2017

उनवान

प्रहलाद पुत्र रामलाल, जाति मेहर, निवासी बाण्डी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– बापू लाल आत्मज प्रहलाद, जाति मेहर, निवासी बाण्डी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

2– मांगीलाल पुत्र रामलाल, जाति मेहर, निवासी बाण्डी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

3– गंगाबाई पुत्री रामलाल, जाति मेहर, निवासी बाण्डी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

4– मोहन लाल पुत्र नाथूलाल, जाति मेहर, निवासी बाण्डी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

5– नारायण पुत्र सीताराम (मृतक)

6– कंकू बाई पुत्री किशन पत्नी कालूराम, जाति मेहर, निवासी बाण्डी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

7– कन्या बाई पुत्री किशन पत्नी सुगनलाल, जाति मेहर, निवासी बोरखेडी, तहसील गरोठ मध्यप्रदेश

8– प्रबन्धक हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीछत्रपुर, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

9– सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

उपस्थित – श्री वीरेन्द्र सोनगारा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री अमर सिंह लववंशी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 18.01.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 40/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय व डिक्री जैर अपील विधि विरूद्ध मनमाना पारित किया है जो न्याय संगत नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने मेरिट पर निर्णय नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने कोर्ट कैम्प में निर्णय पारित किया है । अपीलांट प्रतिवादी के वादी रेस्पोडेंट के अतिरिक्त और भी वारिसान पत्नी गुलाब बाई व अपीलांट के गुलाब बाई से उत्पन्न पुत्र राकेश कुमार व पुत्री मधुबाला जो अपीलांट के नुत्फे से उत्पन्न संतान है जिसको भी कोर्ट कैम्प में बताया गया इसके उपरान्त भी इस तथ्य की अनदेखी कर निर्णय व डिक्री पारित की है । अपीलांट प्रहलाद सोरायशिश नामक बीमारी से ग्रसित है और वृद्ध है । अपीलांट का इलाज काफी लम्बे समय से चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पत्रावली का अवलोकन किये व अपीलांट के जवाबदावे को पढे बिना निर्णय व डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम नहीं की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2016 अपास्त की जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 23.06.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 बापू लाल ने पिता के जीवित रहते हिस्सा मांगा है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व केम्प में ग्राम घटोद में निर्णय पारित किया है । प्रहलाद के दो पत्नियां थी व उनके बच्चे भी है । बापू लाल के स्वयं की मां व पिता का वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा कर दिया । दूसरी पत्नी से एक पुत्र व एक पुत्री है । अतः दूसरी पत्नी व उसके पुत्र पुत्री को वादग्रस्त आराजी में हिस्सा मिलना चाहिए । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया । इन्होंने दूसरी पत्नी बाबत कोई प्रमाण पेश नहीं किया । अतः अपील खारिज की जावे ।

अभिभाषक अपीलांट ने पुनः बहस में कथन किया कि वोटर आईडी पेश किया जिसमें गुलाबी बाई पत्नी प्रहलाद अंकित है साथ ही आधार कार्ड भी पेश किया जिसमें गुलाबी बाई पत्नी प्रहलाद अंकित है एवं बच्चों के आधार कार्ड भी पेश किये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा तस्दीक किया लेकिन राजीनामें में समस्त पक्षकारों के हस्ताक्षर न होकर केवल चार पक्षकारों के हस्ताक्षर ही अंकित है वादी पक्षकार के रूप में धापूबाई के हस्ताक्षर है जो वाद पत्र में पक्षकार ही नही है। ऐसी स्थिति में राजीनामा अपूर्ण है। जिसके आधार पर किया गया निर्णय भी त्रुटिपूर्ण है। अपीलांट ने अपील मेमो में अपने अन्य वारिसानों का भी कथन किया है। न्यायहित में समस्त पक्षकारों को सुना जाना आवश्यक है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबंध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

दिनांक 24.06.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में सभी पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.04.2021 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा